

क्रमांक 3328500/80/2014
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
जल संसाधन विभाग,
"जल संसाधन भवन" तुलसीनगर
भोपाल, म.प्र. 462003

Telephone 0755- 2552646, 2552878, Fax 0755-2552406 emailncwrdbpl@nic.in

भोपाल, दिनांक

03/10/2020
/09/2020


//आदेश//

श्री टी.आर.पटैल, उपयंत्री के विरुद्ध जल उपभोक्ता संथा, सुडौर में नहरों की साफ-सफाई एवं मस्टर रोल संबंधी अनियमितता हेतु अनुविभागीय अधिकारी, उपसंभाग शाहनगर द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाने थाना प्रभारी शाहनगर द्वारा दिनांक 18.12.2016 को उपयंत्री को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा उन्हें पुलिस हिरासत में 48 घंटे से अधिक जेल में रखे जाने के कारण कार्यालयीन आदेश दिनांक 03.02.2017 को निलंबित किया गया।

माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, पवई जिला-पन्ना के निर्णय दिनांक 22.02.2020 द्वारा श्री टी.आर.पटैल, उपयंत्री के विरुद्ध विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 से 04 को प्रमाणित नहीं को धारा-420,467,468 एवं 469 भा0द0स0 के आरोपों से दोषमुक्त किया गया है।

श्री टी.आर.पटैल, उपयंत्री को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, पवई जिला-पन्ना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2020 द्वारा दोषमुक्त किये जाने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 6-6/2002-03 एक दिनांक 30 अगस्त 2002 की कंडिका-बारह में निहित निर्देशानुसार श्री टी.आर.पटैल, उपयंत्री को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाता है। बहाली उपरांत उन्हें कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर में पदस्थ किया जाता है।

साथ ही श्री टी.आर. पटैल, उपयंत्री की निलम्बन अवधि का नियमितकरण मूलभूत नियम 54(बी) के अन्तर्गत उन्हें निलम्बन अवधि में देय जीवन निर्वाह भत्ते का समायोजन कर कर्त्तव्य अवधि मान्य कर किया जाता है।


(एम.एस.डाबर)

प्रमुख अभियन्ता
जल संसाधन विभाग.

भोपाल, दिनांक 03/10/2020
/09/2020


पृ.क्र. 3328500/80/2014

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
2. मुख्य अभियन्ता, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, रीवा।
3. मुख्य अभियन्ता, धसान केन कछार, जल संसाधन विभाग, सागर।
4. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छतरपुर।

5. संबंधित श्री टी.आर.पटेल, उपयंत्री द्वारा स.क्र. 2.

6. ✓ वैब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभाग की
वैबसाईट पर प्रविष्टि हेतु ।


31/10/20
(एम.एस.डॉबर)

प्रमुख अभियन्ता
जल संसाधन विभाग